राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, थलीसैंण (पौड़ी गढ़वाल)

संक्षिप्त परिचय (Brief Introduction)

राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, थलीसैंण (पौड़ी गढ़वाल) की स्थापना पेशावर कांड के महानायक वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली के जन्म क्षेत्र में 15 अगस्त, सन् 2001 में की गयी। गगनचुम्बी दूधातोली पर्वत श्रृंखलाओं की उपत्यका में सुशोभित बिन्देश्वर महादेव की तपस्थली एवं हंसेश्वर महादेव के पुनीत प्रांगण में गतिमान महाविद्यालय पौड़ी जनपद मुख्यालय से लगभग 90 किमी दूर है। थलीसैंण तहसील एवं ब्लॉक मुख्यालय होने के कारण महाविद्यालय लगभग 75 ग्रामों के क्षेत्रवासियों के लिए उच्च शिक्षा के आलोक स्तम्भ के रूप में नित नये आयामों के आशाओं का केन्द्र है। उत्तराखण्ड राज्य सृजन के बाद सन् 2001 में महाविद्यालय स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत सात विषयों – हिन्दी, अंग्रेजी, राजनीति विज्ञान, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र एवं समाजशास्त्र के साथ प्रारम्भ हुआ। महाविद्यालय अपनी शैशवास्था में राजकीय इण्टर कॉलेज, थलीसैंण के पाँच कक्षों में संचालित किया गया तथा 05 सितम्बर, 2014 को अपने नये भवन में स्थानान्तरित किया गया। शिक्षण सत्र 2015–16 से महाविद्यालय में स्नातक विज्ञान संकाय (ZBC, PCM) प्रारम्भ हुआ। सत्र 2019–20 से स्नातकोत्तर स्तर पर चार विषयों – हिन्दी, अंग्रेजी, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र में कक्षाऐं प्रारम्भ हो गयी हैं। वर्ष 2021 से महाविद्यालय को कला संकाय में स्नातक स्तर पर तीन नवीन विषयों संस्कृत, गृहविज्ञान एवं सैन्य विज्ञान की स्वीकृति प्राप्त हुई है। उक्त नवीन विषयों के साथ कक्षाएं प्रारम्भ हो चुकी हैं। महाविद्यालय को श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय, बादशाहीथौल, टिहरी गढ़वाल, उत्तराखण्ड से सम्बद्धता प्राप्त है। राजकीय महाविद्यालय भारत सरकार की महत्वाकांक्षी रूसा परियोजना (रा0उ0शि0अ0) से आच्छादित है। समयबद्ध शैक्षिक पंचांग एवं ई–लाइब्रेरी की सुविधायुक्त महाविद्यालय की शिक्षणेत्तर गतिविधियां प्रवेशार्थियों हेतु आकर्षण का केन्द्र रहा हैं। प्रदेश के पूर्व माननीय राज्यपाल डॉ0 के0 के0 पॉल महोदय द्वारा छात्र–छात्राओं को प्रोत्साहित करते हुए राज्यस्तरीय महत्वाकांक्षी योजना **'पुस्तकदान'** का शुभारम्भ इसी संस्था से किया गया। महाविद्यालय में सत्र 2018–19 से उत्तराखड मुक्त विश्वविद्यालय के अध्ययन–परीक्षा केन्द्र के रूप में विभिन्न पाठ्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है। 4G कनेक्टीविटी से युक्त महाविद्यालय में विज्ञान संकाय भवन एवं छात्रा–छात्रावास निर्माण कार्य प्रगति पर है।

अन्तर्दृष्टि (Vision)

सभी विषयों में उच्च गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करना, विविध एवं समावेशी वातावरण द्वारा छात्रों का समग्र विकास करना।

हमारा लक्ष्य (Our Mission)

1. समावेशिता और विविधता को बढ़ावा देना।
2. आईसीटी का प्रभावी उपयोग करना।
3. अनुसंधान एवं नवाचार को बढ़ावा देना।
4. शिक्षकों के शिक्षण–प्रशिक्षण को बढ़ावा देना।
5. छात्रों में नेतृत्व एवं कुशल प्रबंधकीय कौशल का विकास करना।
6. छात्रों के समग्र विकास हेतु मूल्यवर्धित पाठ्यक्रमों को संचालित करना।

छात्र–छात्राओं के लिए अनुपालनीय निर्देश एवं नियम

1. समय–समय पर दी जाने वाली सूचनाओं से अवगत होने के लिए छात्र–छात्राओं को सूचना पट्ट पर अंकित सूचनाएं ध्यान से पढ़नी चाहिए।
2. छात्र–छात्राओं से अपेक्षा की जाती है कि वे अनुशासित रहते हुए अध्ययनशील रहेंगे और महाविद्यालय का स्तर एवं गरिमा बढ़ाने में हर सम्भव प्रयास करेंगे।
3. छात्र–छात्राओं को अपने विभिन्न शैक्षिक एवं सह–शैक्षिक क्रिया कलापों के लिए सम्बन्धित प्रभारी प्राध्यापकों से आवश्यक जानकारी प्राप्त करनी चाहिए।
4. प्रत्येक छात्र/छात्रा को प्रवेश लेने के तुरन्त बाद मुख्य शास्ता (चीफ प्रोक्टर) से सम्पर्क कर अपना परिचय पत्र (आईडेन्टिटी कार्ड) प्राप्त कर लेना चाहिए और उसे हमेशा अपने पास रखना चाहिए। किसी भी समय आवश्यकता पड़ने पर परिचय पत्र दिखाना आवश्यक है।
5. महाविद्यालय कार्यालय में जो भी शुल्क जमा किया जाए उसकी रसीद प्राप्त करना आवश्यक है अन्यथा किसी भी प्रकार की क्षति के लिए छात्र–छात्रा स्वयं जिम्मेदार होंगे।
6. महाविद्यालय समय–सारणी के प्रभावी हो जाने के उपरान्त समय–सारणी में किसी भी प्रकार का परिवर्तन सम्भव नहीं होगा।
7. शुल्क जमा करने के पश्चात् सम्बन्धित विषयों के प्राध्यापकों के व्याख्यान पंजिका में अपना नाम लिखवाना छात्र–छात्रा की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी।
8. महाविद्यालय के किसी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा गैर इरादतन की गई किसी त्रुटि का अनुचित लाभ उठाने हेतु कोई वाद अदालत में दायर नहीं किया जा सकेगा।
9. महाविद्यालय परिसर में रैगिंग जैसे आपराधिक कृत्य से सदैव बचे रहें।

10. विद्यार्थी की प्रत्येक विषय में 75% उपस्थिति अनिवार्य है।

शासन के निर्देशानुसार महाविद्यालय परिसर में धूम्रपान (बीड़ी, गुटका आदि का सेवन) करना दण्डनीय अपराध है।

प्रवेश हेतु नियम एवं निर्देश (Rules & Regulations for Admission)

अभ्यर्थी आवेदन पत्र भरने से पहले एवं विषयों का चयन करते समय निम्नलिखित प्रवेश नियमों को भली प्रकार से पढ़ लें।

1. ऑनलाइन माध्यम से आवेदन किये हुए अभ्यर्थियों को प्रवेश के समय महाविद्यालय में अपने ऑनलाईन आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी, शैक्षणिक मूल प्रमाणपत्रों एवं अंकतालिकाओं तथा अन्य आवश्यक प्रमाणपत्रों यथा अधिभार/आरक्षण विषयक प्रमाणपत्रों आदि में से प्रत्येक की स्पष्ट स्वप्रमाणित छायाप्रति के साथ स्वयं प्रवेश समिति के समक्ष उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
2. अभ्यर्थी तथा उसके अभिभावक द्वारा प्रवेश के समय विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.sdsuv.ac.in में प्रवेश के अंर्तगत उपलब्ध **प्रारूप क तथा प्रारूप ख** में उल्लेखित निर्धारित शपथपत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे। शपथपत्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर महाविद्यालय द्वारा गठित प्रवेश समिति के शिक्षक द्वारा प्रति हस्ताक्षरित किये जायेंगे।
3. डाक द्वारा प्राप्त, अपूर्ण/ हस्ताक्षर रहित तथा किसी भी अन्य द्वारा जमा कराये गये आवेदन पत्रों पर विचार नही ंकिया जाएगा।
4. नये प्रवेशार्थियों के लिए आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित प्रमाण–पत्रों की छायाप्रतियां लगानी अनिवार्य हैं।
   (क) उत्तीर्ण परीक्षाओं की अंक तालिकाओं/प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियां।
   (ख) स्थानान्तरण प्रमाण–पत्र (टी.सी.) की मूल प्रति।
   (ग) अन्तिम शिक्षण संस्थान के प्रधानाचार्य द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र की मूल प्रति।
   (घ) व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में परीक्षा उत्तीर्ण कर प्रवेश लेने के इच्छुक अभ्यर्थी को राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रदत्त आचरण सम्बन्धी प्रमाण–पत्र की मूल प्रति।
   (ड.) 04 पासपोर्ट साइज की नवीनतम फोटो।
   (च) अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ा वर्ग/दिव्यांग/EWS की आरक्षण श्रेणी में आच्छादित होने के लिए तत्सम्बन्धी स्वप्रमाणित प्रमाण–पत्र।
5. बी0ए0 प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु – इण्टरमीडिएट परीक्षा में न्यूनतम् 40% अंक आवश्यक होंगे।
6. बी0एस0सी0 प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु इण्टरमीडिएट (विज्ञान वर्ग) परीक्षा में न्यूनतम् 45% अंक अनिवार्य होंगे।
7. बी0ए0 प्रथम वर्ष एवं बी0एस0सी0 प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु 39.99% से 44.99% को क्रमशः 40% अथवा 45% नहीं माना जाएगा।
8. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग/दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम् प्रवेश अर्हता में 5% अंकों की छूट अनुमन्य होगी।
9. जो अभ्यर्थी नैतिक भ्रष्टाचार अथवा हिंसा के अभियोग में न्यायालय के द्वारा दण्डित किया गया हो, उसे किसी भी कक्षा में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। यदि प्रवेश के बाद उसे नैतिक भ्रष्टाचार अथवा हिंसा के अभियोग में न्यायालय द्वारा दण्डित किया जाता है तो उसका प्रवेश महाविद्यालय द्वारा निरस्त कर दिया जायेगा।
10. यदि कोई अभ्यर्थी महाविद्यालय की किसी कक्षा में धोखाधड़ी से प्रवेश लेता है तो उसका प्रवेश प्राचार्य द्वारा किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकता है।
11. स्नातक स्तर पर प्रवेश लेने वाले छात्रों को निम्नलिखित श्रेणी में आने पर वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की दशा में उनके सम्मुख अंकित अंकों का लाभ देय होगा–
    - एन0सी0सी0 'बी' अथवा 'सी' प्रमाण पत्र प्राप्त अभ्यर्थी – **25 अंक**
    - राष्टीय सेवा योजना के अन्तर्गत विशेष शिविर कम से कम सात दिवसीय शिविर में भाग लेने पर – **20 अंक**
    - प्रतिरक्षा सेनाओं में कार्यरत अथवा सेवानिवृत्त कर्मचारियों या उनके पुत्र/पुत्री/पति/पत्नी/सगाभाई/बहन– **20 अंक**
    - जम्मू–कश्मीर में तैनात अर्द्ध–सैनिकों के पुत्र/पुत्री पति/पत्नी/सगा भाई बहन तथा जम्मू–कश्मीर से विस्थापित या उनके पुत्र/पुत्री/पति/पत्नी/सगाभाई/बहन–**20 अंक**
    - अंतर्राष्टीय स्तर पर किसी मान्यता प्राप्त खेल में प्रतिभाग करने पर – **50 अंक**
    - अन्तर–विश्वविद्यालय/राज्य/राष्टीय स्तर पर खेल में पदक प्राप्त करने पर –**40 अंक**
    - शासन द्वारा/खेल फैडरेशन द्वारा आयोजित राष्टीय स्तर पर खेल में प्रतिभाग करने पर – **30 अंक**
    - राज्य/अन्तर विश्वविद्यालय स्तर पर मान्यता प्राप्त खेल में प्रतिभाग करने पर – **25 अंक**
    - अन्तर विश्वविद्यालय स्तर पर मान्यता प्राप्त खेल में प्रतिभाग करने पर – **25 अंक**
    - अन्तर महाविद्यालय स्तर पर मान्यता प्राप्त खेल प्रतियोगिता में विजेता अथवा उपविजेता – **25 अंक**
    - जिला शिक्षा अधिकारी/सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रतियोगिता प्रमाण पत्र जिला/मण्डल स्तर पर खेल में प्रतिभाग के आधार पर – **20 अंक**
    - अन्तर–महाविद्यालय प्रतियोगिता में परिसर/महाविद्यालय/संस्थान की किसी खेल की टीम का सदस्य होने पर – **15 अंक**

नोट – उपरोक्त श्रेणियों में आने वाले अभ्यर्थियों को अधिकतम 50 अंकों का लाभ देय होगा। उपर्युक्त लाभ केवल न्यूनतम् योग्यता धारकों को प्रवेश हेतु देय तथा उक्त के अन्तर्गत प्राप्त अंकों का लाभ किसी भी कक्षा में प्रवेश के लिए अर्हता निर्धारण नहीं जोड़ा जायेगा। यह केवल वरीयता निर्धारण हेतु प्रयोग में लाया जाएगा।

12. राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण छात्र/छात्रा स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए अर्ह हैं, जबकि कुलसचिव गढ़वाल वि0वि0 के पत्रांक ग0वि0वि0/परीक्षा/2008 दिनांक 03.05.2008 के अनुसार मा0 उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 23.01.2008 में गुरूकुल विश्वविद्यालय, वृन्दावन से पंडित परीक्षा उत्तीर्ण छात्रों को इण्टरमीडिएट परीक्षा के समकक्ष नहीं माना है। अतः ऐसे छात्र/छात्राओं को विश्वविद्यालय की किसी भी कक्षा में प्रवेश/परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं है।
13. जो प्रवेशार्थी गत सत्र में महाविद्यालय का संस्थागत विद्यार्थी रहा हो, उसके लिए प्रवेश आवेदन पत्र के साथ विगत् उत्तीर्ण परीक्षा की स्वप्रमाणित अंकतालिका संलग्न करना अनिवार्य है।
14. मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को अगली कक्षा में निर्धारित तिथि तक प्रवेश लेना अनिवार्य होगा।
15. ऐसे विद्यार्थी ही भूतपूर्व छात्र के रूप में स्वीकार किये जाएंगे जिन्होंने गत शैक्षणिक सत्र में न्यूनतम् निर्धारित उपस्थिति पूर्ण की हो और विश्वविद्यालय द्वारा उनका नियमानुसार प्रवेश पत्र व अनुक्रमांक निर्गत किया गया हो और जिनकी वार्षिक/सेमेस्टर परीक्षा अस्वस्थता के कारण छूट गयी हो।
16. प्रवेश की अन्तिम तिथि सभी कक्षाओं के लिए है, लेकिन जिनके परीक्षाफल बाद में घोषित होंगे उनसे सम्बन्धित सभी मामलों के लिए प्रवेश परीक्षाफल घोषित होने के 20 दिन के अन्दर होंगे।
17. अपूर्ण आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा।
18. किसी भी प्रवेशार्थी का आवेदन पत्र अस्वीकार करने या बिना कारण बताए निरस्त करने का अधिकार प्राचार्य को है। किसी भी अभ्यर्थी द्वारा गलत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने या किसी भी आवश्यक तथ्य को छुपाने की जानकारी प्राचार्य को प्राप्त होने पर सम्बन्धित का प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।
19. UGC की Website- www.antiragging.in पर जाकर Online एण्टी रैगिंग प्रपत्र अभ्यर्थी द्वारा व उसके अभिभावक द्वारा भरा जाएगा तथा उसका Printout प्रवेश आवेदन पत्र के साथ लगाना होगा।
20. महाविद्यालय में प्रत्येक संकाय में सम्बन्धित विश्वविद्यालय के नियमानुसार छात्र संघ चुनाव लिंगदोह समिति की सिफारिशों के आधार पर सम्पन्न होंगे।
21. किसी संकाय/विषय में स्वीकृत सीटों से अधिक प्रवेश आवेदन पत्र जमा होने पर प्रवेश मैरिट सूची के अनुसार होंगे।
22. सभी कक्षाओं में प्रवेश हेतु 90% सीटें उत्तराखण्ड के निवासियों हेतु होंगी। अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों को अधिकतम 10% स्थानों पर कट ऑफ मैरिट सूची के आधार पर प्रवेश मिलेगा।
23. अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों को प्रवेश पूर्व अपने जिले के पुलिस अधीक्षक/थानाध्यक्ष से सत्यापन प्रमाण–पत्र (हस्ताक्षर, नाम एवं सील सहित) प्रस्तुत करना होगा।
24. प्रवेश शुल्क जमा करने के बाद किसी भी प्रकार का शुल्क वापस नहीं होगा।
25. अन्य महाविद्यालयों में प्रवेश ले चुके प्रवेशार्थी को इस महाविद्यालय में प्रवेश देय नहीं होगा।
26. जिन छात्रों की गतिविधियॉ अनुशासन मण्डल/प्रशासन की दृष्टि से अवांछनीय होंगी, उन्हें प्रवेश से रोका जा सकता है, या उनका प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।
27. प्रवेश के सम्बन्ध में समस्त सूचनायें सूचना पट्ट पर चस्पा होंगी। इसलिए समस्त विद्यार्थी समय–समय पर सूचना पट्ट का अवलोकन करते रहें।
28. उपरोक्त प्रवेश नियमों के अतिरिक्त उत्तराखण्ड शासन, श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय, बादशाहीथौल, (टिहरी गढ़वाल) द्वारा संशोधित अथवा नवीनतम् निर्देशों एवं नियमों को भी प्रभावी माना जाएगा।

कला संकाय (स्नातक) Arts Faculty

महाविद्यालय में स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत 10 विषयों में अध्ययन की सुविधा है। प्रवेशार्थी को दो मुख्य विषयों (Two Major Subjects) का चयन निम्न अंकित विषय समूह के पृथक–पृथक समूहों से करना होगा। अभ्यर्थी द्वारा तीसरे मुख्य विषय–III (Major Elective Subject-III) का चयन पूर्व चयनित विषय समूहों से भिन्न समूहों से करना होगा। उपरोक्त तीनों मुख्य विषय अभ्यर्थी द्वारा अलग–अलग समूहों से ही चुने जा सकते हैं। प्रवेशार्थी को महाविद्यालय द्वारा संचालित माइनर इलेक्टिव पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त अपने निकटतम महाविद्यालय/संस्थानों में संचालित माइनर इलेक्टिव पाठ्यक्रमों को चयनित करने की स्वतंत्रता होगी।

Group A	Group B	Group C	Group D	Group E	Group F
अंग्रेजी साहित्य	अर्थशास्त्र	भूगोल	समाजशास्त्र	हिंदी साहित्य	राजनीति विज्ञान
संस्कृत साहित्य	गृह विज्ञान	इतिहास			
		सैन्य विज्ञान			

कला संकाय हेतु सामान्य नियम

1. स्नातक में प्रवेश हेतु इण्टरमीडिएट (10+2) या उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
2. विषयों तथा पाठयक्रमों का निर्धारण पूरी तरह शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुसार होगा।
3. प्रत्येक विषय में 60 सीटें निर्धारित हैं।

विज्ञान संकाय (Science Faculty)

महाविद्यालय में स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय के अन्तर्गत **गणित समूह एवं जीव विज्ञान समूह** मे अध्ययन की सुविधा है। प्रवेशार्थी को दो मुख्य विषयों (Two Major Subjects) का चयन निम्न अंकित विषय समूह के पृथक–पृथक समूहों से करना होगा। अभ्यर्थी द्वारा तीसरे मुख्य विषय–III (Major Elective Subject-III) का चयन पूर्व चयनित विषय समूहों से भिन्न समूहों से करना होगा। उपरोक्त तीनों मुख्य विषय अभ्यर्थी द्वारा अलग–अलग समूहों से ही चुने जा सकते हैं। प्रवेशार्थी को महाविद्यालय द्वारा संचालित माइनर इलेक्टिव पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त अपने निकटतम महाविद्यालय/संस्थानों में संचालित माइनर इलेक्टिव पाठ्यक्रमों को चयनित करने की स्वतंत्रता होगी।

गणित समूह		
Group A	**Group B**	**Group C**
गणित	भौतिक विज्ञान	रसायन विज्ञान
		सैन्य विज्ञान

जीव विज्ञान समूह		
Group A	**Group B**	**Group C**
वनस्पति विज्ञान	जन्तु विज्ञान	रसायन विज्ञान
		सैन्य विज्ञान

विज्ञान संकाय हेतु सामान्य नियम

1. स्नातक में प्रवेश हेतु इण्टरमीडिएट (10+2) या उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
2. विज्ञान संकाय में निम्न दो वर्गों में से एक वर्ग का चयन किया जा सकता है।
   गणित वर्ग ।
   जीव विज्ञान वर्ग।

शुल्क (Fee)

1. शुल्क का निर्धारण शासन तथा विश्वविद्यालयों से प्राप्त दिशा निर्देशों के आधार पर किया जाता है।
2. बी.ए./बी.एस.सी. का शुल्क विविरण निम्न प्रकार है। महाविद्यालय प्रवेश के समय यह नोटिस बोर्ड पर भी चस्पा कर दिया जायेगा।

क0 सं0	मद का नाम	बी0ए0 अप्रायोगिक	बी0ए0 प्रायोगिक	बी0एससी0 (ZBC)	बी0एससी0 (PCM)
शासकीय शुल्क					
01	प्रवेश	6	6	6	6
02	विकास	20	20	20	20
03	महंगाई	240	240	240	240
04	पुस्तकालय	3	3	3	3
05	पंखा	5	5	5	5
06	प्रयोगशाला	0	240	240	240
	योग	**274**	**514**	**514**	**514**
महाविद्यालय शुल्क					
07	क्रीड़ा	250	250	250	250
08	वाचनालय	30	30	30	30
09	पत्रिका	50	50	50	50
10	विभागीय परिषद्	50	50	50	50
11	मरम्मत/विद्युत व्यय	60	60	60	60
12	छात्रसंघ	50	50	50	50
13	प्रांगण विकास	20	20	20	20
14	महाविद्यालय दिवस/जयंती	20	20	20	20
15	शिक्षक अभिभावक संघ	30	30	30	30
16	विविध विकास सम्बन्धी	100	100	100	100
17	निर्धन छात्र	10	10	10	10
18	वार्षिक समारोह/सांस्कृतिक परिषद्	50	50	50	50
19	परिचय पत्र	25	25	25	25
20	कम्प्यूटर रख–रखाव	70	70	70	70
21	कैरिअर काउंसलिंग	30	30	30	30
22	प्रयोगशाला सामग्री	0	60	180	120
23	प्रसाधन	50	50	50	50
	योग	**895**	**955**	**1075**	**1015**
	महायोग	**1169**	**1469**	**1589**	**1529**

विद्यार्थियों हेतु आवश्यक नियम

उपस्थिति नियम (Rule of Attendance)

सभी विद्यार्थियों के लिए कम से कम 75% उपस्थिति अनिवार्य है। शासनादेश संख्या 258(1)15–(उ0शि0)71/97 दिनांक 11 जून 1997 के अनुसार कोई भी संस्थागत छात्र विश्वविद्यालय की किसी भी परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति तब तक प्राप्त नहीं कर सकेगा, जब तक कि वह व्याख्यान या प्रयोगात्मक कक्षाओं में पृथक–पृथक 75% उपस्थिति पूरी नहीं करता। पूरे सत्र में किसी विषय में व्याख्यान व प्रयोगात्मक कक्षाओं में पृथक–पृथक 05% की छूट प्राचार्य द्वारा तथा 10% की छूट कुलपति द्वारा निम्न परिस्थितियों में दी जा सकती है : –

- ❖ विद्यार्थी की लम्बी और गम्भीर बीमारी के कारण कक्षा में सम्मिलित न हो पाने और चिकित्सा प्रमाण पत्र जमा करने पर।
- ❖ विश्वविद्यालय/महाविद्यालय द्वारा आयोजित क्रीड़ा प्रतियोगिता, समारोह, एन0एस0एस0 शिविर आदि के निमित्त जाने पर उपस्थिति न्यूनता पर।

अनुशासन (Discipline)

महाविद्यालय में स्वस्थ वातावरण बनाये रखने के लिए एक नियंता मण्डल का गठन किया जाता है। नियंता मण्डल द्वारा महाविद्यालय में समय–समय पर अनुशासन सम्बन्धी नियम बनाये जाते हैं, जिनका अनुपालन समस्त छात्र/छात्राओं के लिए अनिवार्य है। नियंता मण्डल का दायित्व यह सुनिश्चित करना है कि विद्यार्थियों द्वारा नियम का पालन किया जा रहा है। विद्यार्थियों को यह ज्ञात होना चाहिए कि उनके किसी भी अनुचित व्यवहार व किसी नियम का उल्लंघन करने पर नियंता मण्डल को विद्यार्थी के विरूद्ध उचित कार्यवाही/निष्कासन की संस्तुति करने का पूर्ण अधिकार है। दुर्व्यवहार करने वाले छात्रों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही इसलिए आवश्यक हो जाती है ताकि महाविद्यालय का वातावरण दूषित न हो, छात्र/छात्राओं, शिक्षकों व कर्मचारियों की शांति भंग न हो तथा उनके नैतिक दायित्वों/कार्यों में कोई बाधा उत्पन्न न हो। महाविद्यालय के सभी विद्यार्थियों से आशा की जाती है कि वे अपनी गौरवशाली परम्परा का निर्वहन करते हुए संस्था में अनुशासन तथा स्वस्थ शैक्षणिक वातावरण बनाने में अपना पूर्ण सहयोग दें।

महाविद्यालय का प्रत्येक विद्यार्थी निम्नलिखित बातों को अवश्य ध्यान में रखें तथा किसी भी स्थिति में उनकी अवहेलना न करें।

1. महाविद्यालय में आये किसी सम्मानित अतिथि के प्रति अभद्रता एवं निरादर प्रदर्शित करना।
2. महाविद्यालय के प्राध्यापकों एवं कर्मचारियों के प्रति वचन एवं कर्म द्वारा निरादर करना।
3. जाली हस्ताक्षर, जाली कागजात, झूठा बयान प्रस्तुत करना।
4. ऐसा कोई भी कार्य हिंसा अथवा बल का प्रयोग तथा धमकी देना।
5. ऐसा कोई भी कार्य जिससे शांति व्यवस्था व अनुशासन को धक्का लगे या हानि पहुंचे और महाविद्यालय की छवि धूमिल हो।
6. रैगिंग करना या उसके लिए प्रेरित करना।
7. कक्षाओं में शिक्षण कार्य में व्यवधान उत्पन्न करना।
8. परिसर में किसी राजनैतिक या साम्प्रदायिक विचारधाराओं का प्रचार–प्रसार या प्रदर्शन करना।

निषेध

1. महाविद्यालय परिसर में धूम्रपान अथवा मादक पदार्थ का सेवन करना।
2. महाविद्यालय परिसर के कमरों, दीवारों, कक्षों तथा दरवाजों आदि पर लिखना और उन पर विज्ञापन या इश्तहार लगाना।
3. प्राचार्य/नियंता द्वारा निर्गत आदेशों/निर्देशों को लेने/मानने से इन्कार करना या उनका उल्लंघन करना।
4. महाविद्यालय के भवन, बगीचे, फुलवारी अथवा सम्पत्ति को क्षति पहुंचाना।
5. महाविद्यालय के अधिकारी/नियंता या शिक्षक द्वारा विद्यार्थी का परिचय पत्र मांगने पर इन्कार करना।
6. कक्षाओं में च्यूंगम, पान मसाला आदि चबाना और काला चश्मा (दृष्टि बाधित को छोड़कर) पहनना निषेध होगा।

परिचय पत्र (Identity Card)

महाविद्यालय के प्रत्येक संस्थागत छात्र को नियन्ता कार्यालय से परिचय पत्र अवश्य प्राप्त करना होगा। छात्र/छात्रा के लिए परिचय पत्र हमेशा अपने साथ रखना आवश्यक है। यदि कभी नियन्ता मण्डल का कोई सदस्य परिचय पत्र दिखाने को कहता है और उस समय विद्यार्थी नहीं दिखाता है तो ऐसी स्थिति में उसे बाहरी (बाह्य) व्यक्ति समझा जायेगा।
प्रथम बार निर्गत परिचय पत्र खो जाने पर दूसरा परिचय पत्र नियन्ता कार्यालय से निर्गत होता है किन्तु इसके लिए 50 (पचास) रुपये शुल्क महाविद्यालय/बैंक में जमा करना होगा। ऐसे विद्यार्थियों को चाहिए कि वे प्रवेश शुल्क रसीद प्रस्तुत कर मुख्य नियन्ता को इस आशय का आवेदन पत्र दें कि वास्तव में परिचय पत्र खो गया है और वह संस्था का नियमित विद्यार्थी है।

गणवेश (Dress Code)

उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड हल्द्वानी के पत्रांक सं0 डिग्री सेवा/नि0का0/4070–4190/2017–18 (P.S.) दिनांक 17 जून, 2017 के अनुपालन में शिक्षण सत्र 2017–18 से महाविद्यालय के छात्र/छात्राओं हेतु ड्रैस निर्धारित कर दी गयी है। प्रवेश लेने वाले प्रत्येक विद्यार्थियों को महाविद्यालय द्वारा निर्धारित गणवेश पहनकर आना अनिवार्य है। विस्तृत विवरण हेतु महाविद्यालय के सूचना पट्ट का अवलोकन करें।

1. स्नातक स्तर पर छात्राओं के लिए कुर्ती का रंग मेहरून, सलवार एवं दुपट्टे का रंग सफेद होगा तथा छात्रों के लिए सफेद रंग की कमीज और पैंट का रंग काला होगा।
2. स्नातकोत्तर स्तर पर छात्राओं के लिए कुर्ती का रंग नीला, सलवार एवं दुपट्टे का रंग सफेद होगा तथा छात्रों के लिए सफेद रंग की कमीज और पैंट का रंग काला होगा।

सभी छात्र–छात्राओं के लिए ड्रेस–कोड अनिवार्य है।

रैगिंग–कानून अपराध (Ragging-Legal Crime)

माननीय उच्चतम् न्यायालय ने शिक्षण संस्थाओं में रैगिंग को संज्ञेय अपराध माना है और इसे रोकने के लिए शिक्षण संस्थाओं को निर्देश जारी किये हैं कि प्रत्येक शिक्षण संस्था एक रैगिंग विरोधी समिति गठित करे जो रैगिंग जैसे अमानवीय, असामाजिक एवं

अपराधिक कृत्य पर अपराधी को दण्डित करना सुनिश्चित करें। रैगिंग जैसे जघन्य अपराध को जड़ से समाप्त करने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कुछ सख्त नियम तैयार किये हैं। इसके तहत रैगिंग में लिप्त पाये गये विद्यार्थियों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही का प्रावधान है। संस्थान की रैगिंग विरोधी समिति द्वारा दोषी पाये जाने पर अपराध की गंभीरता के अनुसार विद्यार्थी के विरूद्ध निम्न कार्यवाही की जा सकती है :–

- ❖ संस्थान से निलंबन एवं निष्कासन।
- ❖ प्रवेश निरस्त किया जाना।
- ❖ शैक्षिक सुविधाओं का वापस लिया जाना।
- ❖ किसी समय विशेष के लिए संस्थान में प्रवेश नहीं दिया जाना।
- ❖ न्यायालय में मुकद्मा चलाया जाना इत्यादि।

रैगिंग निरोधक समिति/रैगिंग निरोधक दस्ता
(Anti Ragging Committee/ Anti Ragging Squad)

माननीय उच्चतम न्यायालय के पत्र संख्या 310/04/एस0आई0ए0 दिनांक 26 फरवरी 2009 तथा 17 मार्च 2009 को दृष्टिगत रखते हुए यू0जी0सी0 एवं कुलाधिपति (महामहिम राज्यपाल उत्तराखण्ड शासन) के निर्देशानुसार महाविद्यालय में भी एक रैगिंग निरोधक समिति (Anti Ragging Committee) एवं रैगिंग निरोधक दस्ता (Anti Ragging Squad) का गठन किया जाता है जो कि महाविद्यालय परिसर में रैगिंग सम्बन्धी किसी भी प्रकार की गतिविधि पर सख्ती से नजर रखती है तथा ऐसी किसी भी घटना पर कठोर कार्यवाही हेतु सबल संस्तुति भी प्रदान करता है।

एंटी रैगिंग के लिए Helpline number- **1800-180-5522** & Email- **helpline@antiragging.in**

एंटी–रैगिंग शपथ–पत्र

प्रत्येक छात्र–छात्राओं को ऑनलाइन एंटी रैगिंग शपथ पत्र भरना अनिवार्य है। एंटी रैगिंग शपथ पत्र भरने से पूर्व छात्र छात्राओं द्वारा अपना तथा अपने अभिभावक का ईमेल आईडी बनाना आवश्यक है। ऑनलाइन एंटी रैगिंग शपथ पत्र भरने की प्रक्रिया निम्नवत् हैं –

1. **यूजीसी की वेबसाइट www.antiragging.in पर जाएं।**
2. **Register for Undertaking पर जाएं।**
3. **Affiliate College पर क्लिक कर एंटी रैगिंग शपथ पत्र का फार्म भरें।**
4. **इस फार्म को सफलता पूर्वक भरने के बाद Submit बटन पर क्लिक कर शपथ पत्र वेबसाइड से डाउनलोड करें।**
5. **शपथ पत्र को प्रिंट कर उस पर स्वयं तथा अभिभावक के हस्ताक्षर करवाकर कॉलेज में प्रस्तुत करें।**

विद्यार्थियों के विकासोन्मुखी शिक्षणेत्तर गतिविधियाँ

विद्यार्थियों के समग्र विकास के लिए स्वस्थ शैक्षणिक वातावरण के साथ–साथ विभिन्न शिक्षणेत्तर गतिविधियां महाविद्यालय में आयोजित की जाती हैं।

राष्ट्रीय सेवा योजना (N.S.S.)

''मैं नहीं परन्तु आप'' (Not Me But You) की भावना पर आधारित राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत समाज सेवा सम्बन्धी कई गतिविधियां संचालित होती हैं जैसे – शिक्षा एवं मनोरंजन, आपदा (तूफान, बाढ़, भूकम्प, सूखा), महामारी आदि के लिए कायक्रम, पर्यावरण को समृद्ध बनाना तथा उसकी सुरक्षा करना, परिवार कल्याण और पोषक कार्यक्रम, स्थानीय आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के आधार पर कार्यक्रम तथा भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा निर्देशित कार्यक्रम।

महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना की इकाई (100 छात्र/छात्राऐं) संचालित हैं। इस योजना के अन्तर्गत लगातार दो शिक्षण सत्रों में 240 घंटे नियमित कार्य करना होता है। नियमित कार्यक्रमों के अतिरिक्त विशेष शिविर ('ए' प्रमाण पत्र) एवं एक दिवसीय शिविर भी आयोजित किये जाते हैं। सत्र 2004–05 से विश्वविद्यालय द्वारा राष्ट्रीय सेवा योजना 'बी' एवं 'सी' प्रमाण पत्रों की परीक्षाऐं आयोजित की जाती हैं, जिन्हें उत्तीर्ण करने पर विभिन्न विभागों में रोजगार एवं विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु वरीयता/अधिमान प्रदान किया जाता है। इस सम्बन्ध में छात्र/छात्रायें राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम अधिकारी से विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

छात्र–संघ (Student Union)

माननीय उच्चतम् न्यायालय एवं लिंगदोह समिति की सिफारिश एवं शासन के निर्देशानुसार महाविद्यालय में छात्र–संघ चुनाव सम्पन्न कराये जाते हैं। छात्र–संघ में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, सहसचिव, कोषाध्यक्ष तथा 06 कार्यकारिणी सदस्य होते हैं। इसके अतिरिक्त एक पद विश्वविद्यालय प्रतिनिधि का होगा। कोई भी पदाधिकारी निर्वाचित होने हेतु केवल एक बार कार्यकारिणी सदस्य निर्वाचित होने हेतु दो बार चुनाव लड़ सकता है। छात्र–संघ चुनाव प्रत्येक संकाय/कक्षा हेतु सम्बन्धित विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित

नियमानुसार कराये जाते हैं। छात्र–संघ आचार संहिता एवं नियमावली का उल्लंघन करने वाले छात्र प्रतिनिधियों को पदच्युत भी किया जा सकता है।

क्रीड़ा परिषद् (Sports Association)

विद्यार्थियों के शारीरिक एवं बौद्धिक विकास के लिए महाविद्यालय में क्रीड़ा परिषद् का गठन किया गया है, जिसमें विभिन्न खेल गतिविधियाँ संचालित की जाती हैं। वार्षिक क्रीड़ा प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने हेतु प्रत्येक छात्र/छात्रा को महाविद्यालय क्रीड़ा प्रभारी के पास अपना नामांकन करवाना आवश्यक है। उपलब्ध संसाधनों का भौगोलिक सीमान्तर्गत सदुपयोग करते हुए क्रीड़ा स्पर्धा में छात्र/छात्राओं द्वारा बढ़–चढ़कर प्रतिभाग किया जाता है।

सांस्कृतिक परिषद् (Cultural Association)

छात्र/छात्राओं में सांस्कृतिक विरासत के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के उद्देश्य से महाविद्यालय में सांस्कृतिक परिषद् का गठन किया जाता है। परिषद् के माध्यम से विभिन्न लोक–कलाओं के प्रति विद्यार्थियों में अभिरूचि पैदा करने का प्रयास किया जाता है। नियमित अन्तराल पर लोकगायन, लोकभाषा की कविता आदि प्रतियोगिताएं आयोजित होती हैं। मेहंदी, पोस्टर, रंगोली आदि प्रतियोगिताओं के माध्यम से भी समय–समय पर विद्यार्थी अपनी सांस्कृतिक अभिरूचियों का प्रदर्शन करते हैं।

विभागीय परिषद् (Departmental Association)

महाविद्यालय के समस्त विभाग अपनी–अपनी विभागीय परिषदों का गठन करते हैं जिसके तत्वाधान में अनेक शिक्षणेत्तर गतिविधियाँ तथा निबन्ध, पोस्टर, वाद–विवाद प्रतियोगिता, क्विज आदि आयोजित की जाती हैं। इन गतिविधियों का उद्देश्य विद्यार्थियों को अच्छा नागरिक बनाने के साथ–साथ भविष्य की परिस्थितियों एवं प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु तैयार करना है।

महिला प्रकोष्ठ (Women Cell)

सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार महाविद्यालय में एक महिला प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। यह प्रकोष्ठ महाविद्यालय में सौहार्दपूर्ण वातावरण निर्मित करने हेतु प्रतिबद्ध है। प्रकोष्ठ छात्राओं की विभिन्न समस्याओं को समझने और उसके निराकरण के लिए प्रतिबद्ध है। भविष्य में बालिकाओं को मानसिक एवं शारीरिक रूप से सबल बनाने की विभिन्न कार्य–योजनाओं को महाविद्यालय क्रियान्वित करने हेतु प्रकोष्ठ प्रयासरत् है।

कैरियर काउन्सलिंग एवं प्लेसमेन्ट सेल (Career Counseling and Placement Cell)

वर्तमान प्रतिस्पर्धा के दौर में विद्यार्थियों में दक्षता, नेतृत्व क्षमता और आत्मविश्वास विकसित करने तथा रोजगारपरक सूचनाएं प्रदान करने हेतु महाविद्यालय स्तर पर एक कैरियर काउन्सलिंग सेल की स्थापना की गयी है। इसके माध्यम से विद्यार्थियों को विभिन्न रोजगारपरक सूचनायें तथा उचित काउन्सलिंग कक्षायें आयोजित की जाती हैं। इच्छुक विद्यार्थी इस कैरियर काउन्सलिंग सेल में अन्य दिनों में भी परामर्श प्राप्त कर सकते हैं।

शौर्य दीवार (Wall of Heros)

गौरवमयी सैन्य पृष्ठभूमि युक्त राज्य उत्तराखण्ड में शासन के निर्देशानुपालन में देश के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र पदक प्राप्त 21 रणबांकुरों की सचित्र संक्षिप्त परिचयात्मक चित्रमाला महाविद्यालय प्रशासनिक भवन के भूतल में सुशोभित है। जो नई पीढ़ी को राष्ट्रीय अस्मिता, गौरव, गरिमा एवं सम्मान की सुरक्षा का संदेश देती है।

अन्य सुविधायें (Other Facilities)

पुस्तकालय (Library)

(A) सामान्य कार्यदिवस में प्राप्तः 10:00 बजे से अपराह्न 05:00 बजे तक पुस्तकों का आदन–प्रदान होता है।

(B) सभी संस्थागत छात्र/छात्राओं को चार पुस्तकें (उपलब्ध होने पर) 15 (पन्द्रह) दिन के लिए निर्गत की जायेगी। पन्द्रह दिन के पश्चात् पुस्तक पुस्तकालय में वापस करना आवश्यक है। पन्द्रह दिनों के पश्चात रू. 1.00 (एक) और एक माह पश्चात् रू. 2.00 (दो) प्रतिदिन प्रतिपुस्तक अर्थदण्ड देय होगा।

(C) इस सम्बन्ध में महत्वपूर्ण है कि पुस्तकालय से पुस्तकें निर्गत करवाते समय पुस्तकों को भली भॉति जांच कर लें। कठी–फटी अथवा पृष्ठ गायब होने की स्थिति में पुस्तक वितरणकर्ता को अवगत करायें, तदोपरान्त पुस्तक की जिम्मेदारी सम्बन्धित छात्र/छात्रा की होगी।

(D) सत्रांत/ मुख्य परीक्षा प्रारम्भ तिथि से पूर्व निर्गत पुस्तकों को पुस्तकालय में जमा कर अदेय प्रमाण–पत्र प्राप्त करने पर ही परीक्षा प्रवेश पत्र दिया जायेगा अन्यथा परीक्षा प्रारम्भ तिथि के प्रथम पन्द्रह दिन तक रू. 1.00 (एक) तदोपरान्त रू. 2.00 (दो) प्रतिदिन पुस्तक अर्थदण्ड देय होगा।

(E) पुस्तकालय के नियम तथा वितरण व्यवस्था समय–समय पर पुस्तकालय प्रभारी द्वारा सूचना पट्ट पर चस्पा करवा दी जायेगी।

छात्रवृत्ति (Scholarship)

(A) महाविद्यालय में विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्तियां छात्र/छात्राओं को उपलब्ध कराई जाती हैं। यथा अनुसूचित जाति/जनजाति छात्रवृत्ति, पिछड़ी जाति छात्रवृत्ति, स्वतंत्रता संग्राम सैनानी छात्रवृत्ति, विकलांग छात्रवृत्ति आदि। छात्र/छात्रा उक्त के सम्बन्ध में छात्रवृत्ति प्रभारी से विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

(B) जिन मेधावी तथा निर्धन छात्र/छात्राओं को किसी अन्य स्रोत से आर्थिक सहायता या छात्रवृत्ति न मिल पाई हो, वह संयोजक छात्र कल्याण परिषद के पास निर्धन छात्र कोष (Poor Boy's Fund) से सहायता हेतु आवेदन कर सकते हैं।

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय केन्द्र (UOU)

शिक्षण सत्र 2018–19 से महाविद्यालय में उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय अध्ययन–परीक्षा केन्द्र स्थापित है, जिसके अन्तर्गत महाविद्यालय में संस्थागत पाठ्यक्रम में संचालित विषयों में स्नातक स्तर पर बी0ए0 एवं स्नातकोत्तर स्तर पर एम0ए0 में अध्ययन की सुविधा उपलब्ध है।